प्रेस विज्ञप्ति
12.02.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने इस मामले के प्रमुख षड्यंत्रकारी चंद्र प्रकाश गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद 90.21 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को 09.02.2026 के आदेश द्वारा अस्थायी रूप से कुर्क करके और माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), गुरुग्राम के समक्ष इस मामले के आठ आरोपियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 10.02.2026 की अभियोजन शिकायत दर्ज करके बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय टेक सपोर्ट घोटाले में महत्वपूर्ण कार्रवाई की है।

अभियोजन पक्ष की शिकायत पीएमएलए की धारा 44 और 45 के तहत धन शोधन के अपराध के लिए दायर की गई है, जिसे धारा 3 के साथ पढ़ा गया है, धारा 70 के साथ पढ़ा गया है, और पीएमएलए, 2002 की धारा 4 के तहत दंडनीय है, मेसर्स सीएसपीआरओ टेक्नोलॉजी (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड, चंद्र प्रकाश गुप्ता जो इस कंपनी की 100% शेयरधारिता रखते हैं, और अन्य व्यक्तियों जिनमें आकाश कुमार दुबे, पंकज कुमार झा और उक्त कंपनियों के कई कर्मचारी शामिल हैं, जो अमेरिकी नागरिकों को धोखा देने में विभिन्न भूमिकाओं में शामिल थे, जिससे अपराध से आगम उत्पन्न हुई और उसे धोखे से बेचा गया।

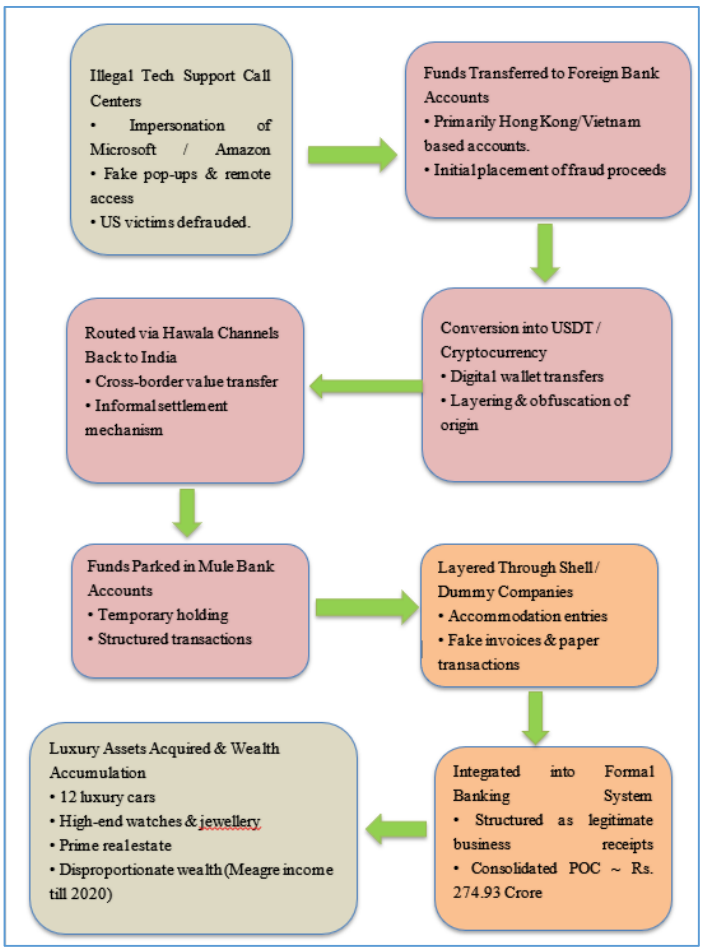
जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), आईओडी, दिल्ली द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी। पीएमएलए के तहत की गई जांच के परिणामस्वरूप, यह पता चला कि 2021 से 2024 तक दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम से अवैध कॉल सेंटर संचालित किए जा रहे थे। इन कॉल सेंटरों ने विदेशी नागरिकों, मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों को, माइक्रोसॉफ्ट आदि जैसी प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी कंपनियों के अधिकारियों के रूप में पेश करके निशाना बनाया। धोखाधड़ी करने की प्रक्रिया में, पीड़ितों को उनके कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित नकली पॉप-अप अलर्ट के माध्यम से धोखा दिया गया और उन्हें झूठी जानकारी दी गई कि उनके सिस्टम से समझौता किया गया है। तकनीकी सहायता प्रदान करने के बहाने, अभियुक्तों ने पीड़ितों को रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए प्रेरित किया, जिसके माध्यम से उनके कंप्यूटर और ऑनलाइन बैंकिंग खातों तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त की गई और हांगकांग स्थित विभिन्न खातों में धन का वायर ट्रांसफर किया गया, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी हुई।

अपराध से प्राप्त आगम को शुरू में विदेशी बैंक खातों, विभिन्न क्रिप्टो खातों/वॉलेट में स्थानांतरित किया गया था और बाद में हवाला चैनलों के माध्यम से नकदी के रूप में भारत लाया गया था। इन निधियों को आगे परतदार बनाया गया और फर्जी चालान जारी करके शेल संस्थाओं के एक जटिल जाल के माध्यम से घरेलू वित्तीय प्रणाली में एकीकृत किया गया था।

ईडी की जांच में पता चला कि मेसर्स सीएसपीआरओ टेक्नोलॉजी (ओपीसी) प्रा. लि., नोएडा और बाद में मेसर्स इनोनेट टेक्नोलॉजी (ओपीसी) प्रा. लि., गुरुग्राम का इस्तेमाल अवैध कॉल सेंटरों के संचालन के लिए मुखौटा कंपनियों के रूप में किया जा रहा था। इस घोटाले के मुख्य सूत्रधार और मुख्य लाभार्थी अभिनव कालरा, अर्जुन गुलाटी और दिव्यांश गोयल थे, जिसमें चंद्र प्रकाश गुप्ता की सक्रिय भागीदारी थी, जिन्होंने कॉल सेंटरों के दिन-प्रतिदिन के संचालन का प्रबंधन किया था, जिसमें कॉल की निगरानी, अन्य षडयंत्रकारियों के साथ समन्वय और तकनीकी बुनियादी ढांचे का संचालन शामिल था। माननीय विशेष न्यायालय, गुरुग्राम ने उपरोक्त तीनों प्रमुख आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए थे क्योंकि वे जांच से फरार हैं।

ईडी की जाँच में यह भी पता चला कि पूरे घोटाले के उपरोक्त तीन सरगनाओं, अर्थात् अभिनव कालरा, अर्जुन गुलाटी और दिव्यांश गोयल को वर्ष 2022-2024 के दौरान कई मुखौटा संस्थाओं से अपराध से प्राप्त आगम के रूप में लगभग 120 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे, जो उनके व्यक्तिगत बैंक खातों या उनके द्वारा नियंत्रित कंपनियों के बैंक खातों में जमा किए गए थे। इतनी बड़ी रकम आज तक दाखिल किए गए आईटीआर में उनकी घोषित आय से पूरी तरह असंगत है। जाँच में यह भी पता चला कि इस प्रकार की बड़ी रकम का उपयोग बाद में शानदार घरों, पेंट-हाउस आदि सहित पर्याप्त उच्च मूल्य की विभिन्न अचल संपत्तियों की खरीद के लिए किया गया था। उन्होंने अपराध से प्राप्त आगम से 12

हाई-एंड कारें, लग्जरी घड़ियाँ, आभूषण और अन्य मूल्यवान संपत्तियाँ भी अर्जित की हैं। जाँच में पता चला कि आरोपी व्यक्ति असाधारण जीवनशैली, कई विदेश यात्राओं, चार्टर्ड विमानों के उपयोग आदि में लिप्त थे। संदर्भ के लिए, अमेरिकी नागरिकों को धोखा देकर प्राप्त अपराध के आगम का प्रवाह नीचे दर्शाया गया है: -



ईडी द्वारा अब तक की गई जांच, एकत्र किए गए सबूतों, जिसमें बैंक रिकॉर्ड, डिजिटल सबूत, गवाहों के बयान और संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) से प्राप्त जानकारी शामिल है, के आधार पर, ईडी ने अपराध से प्राप्त आगम की पहचान की और उसे 274.93 करोड़ रुपये के रूप में निर्धारित किया है। अपराध के आगम के अलगाव या अपव्यय को रोकने के लिए, पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 09.02.2026 के आदेश के अनुसार 90.21 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है।

इसके अलावा, मामले की जांच जारी है। विदेशियों को धोखा देने और देश की वित्तीय अखंडता को कमजोर करने में शामिल संगठित साइबर धोखाधड़ी और धन शोधन नेटवर्क के खिलाफ सख्त और प्रभावी कार्रवाई करने के लिए ईडी प्रतिबद्ध है।